तहसीलदार पीलीबंगा —अप्रार्थी सं. 3

—:: निर्णय :—

दिनांक: 23/03/2026

प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री संजय चाण्डक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने उक्त अनवान का वाद–पत्र/प्रार्थना–पत्र धारा–212 आर०टी०ए० का श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जो जैरकार है। प्रार्थीगण को श्रीमान न्यायालय से पुरा–पुरा न्याय प्राप्त होने की आशा है। प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र का भार संतुलन प्रथम द्रष्टवा प्रार्थीगण के पक्ष में है। यह कि वादग्रस्त कृषि भूमि वर्तमान में संयुक्त खाता में दर्ज अप्रार्थी नं० 1 सोहनलाल पुत्र श्री बीरबलराम के नाम से हिस्सानुसार राजस्व तहसील पीलीबंगा के चक 13 एम.ओ.डी. एश के खाता संख्या– 22/16 के प0नं0 51/260, मु.न. 1 के कि0नं0 1/1 ता 25/2 में स्थित 6.325 है० नहरी मय गै०मु० रास्ता कृषि भूमि, प0नं0 52/260, के मु.न. 2 कि0नं0 11 ता 22 में स्थित 5.566 है0 नहरी मय गै०मु० रास्ता कृषि भूमि, प0नं0 53 /260 मु.न. 3, के कि0नं0 1/1 ता 25/2 में स्थित 6.325 है0 नहरी मय गै०मु० रास्ता व प0नं0 53/261 मु.न. 4, के कि0नं0 1 ता 7 में स्थित 1.771 है0 नहरी मयं गै०मु० रास्ता कुल योग 19.987 है0 कृषि भूमि एंव चक 17 जे. आर. के. के खाता संख्या– 74/55 के प0नं0 50/260 मु.न. 58, के कि0नं0 8 ता 25/2 में स्थित 4.554 है0 नहरी मय गै०मु० कृषि भूमि तथा चक 17 जे. आर. के. में ही एक अन्य खाता संख्या– 103/26 के प0नं0 50/260 मु.न. 58, के कि0नं0 1 ता 7 में स्थित 1.771 है0 नहरी मय गै०मु० रास्ता खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अपने कथन की पुष्टि में नकल जमाबन्दी चक 13 एम.ओ.डी. एश सम्वत 2074–77, चक 17 जे. आर. के. सम्वत 2074–77 इस प्रार्थना–पत्र के साथ बतौर साक्ष्य संलग्न है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में अंकित कृषि भूमि श्री धुन्ना पुत्र श्री गैरा उर्फ भूरा की मृत्यु के पश्चात आगे की पीढ़ियों में हिस्सानुसार सहमतिपूर्वक विरासतन प्रार्थीगण के पिता श्री सोहनलाल पुत्र श्री बीरबलराम जाति बावरी को प्राप्त हुई कृषि भूमि है। प्रार्थीगण के पिता अर्थात अप्रार्थी नं० 1 सोहनलाल पुत्र श्री बीरबलराम जाति बावरी के नाम से चक 13 एम.ओ. डी.ए में संयुक्त खाता संख्या 22/16 में दर्ज समस्त कृषि भूमि में 544/19987 हिस्सा भूमि, चक 17 जे. आर. के. के संयुक्त खाता संख्या 74/55 में दर्ज समस्त कृषि भूमि मे 1/8 हिस्सा व चक 17 जे.आर. के. में ही एक अन्य संयुक्त खाता संख्या 103/26 में दर्ज समस्त कृषि भूमि में 295/7084 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि अप्रार्थी नं० 1 सोहनलाल पुत्र श्री बीरबलराम के नाम से मद संख्या 3 में दर्ज समस्त कृषि भूमि पैत्रिक कृषि भूमि है। प्रार्थीगण के संयुक्त परिवार के विभाजन उपरान्त उक्त कृषि भूमि हिस्सानुसार अप्रार्थी नं० 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई कृषि भूमि है।

यह कि अप्रार्थी नं० 1 के नाम से दर्ज कृषि भूमि प्रार्थीगण की पैत्रिक कृषि भूमि है। प्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि में कानूनः जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। परिवार का मुखिया होने के कारण केवल मात्र समस्त कृषि भूमि अप्रार्थी नं० 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इस कृषि भूमि में प्रार्थीगण का भी अपने पिता के समान ही हक व हिस्सा निहित है। अर्थात दोनों चकों में स्थित अप्रार्थी नं० 1 के नाम से दर्ज कृषि भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/3-1/3 हक व हिस्सा निहित है।

यह कि प्रार्थीगण अपने उक्त अनवान के वाद-पत्र के माध्यम से वादग्रस्त चक 13 एम.ओ.डी. ए में स्थित एंव चक 17 जे. आर. के. में स्थित अपने पिता अप्रार्थी नं० 1 के नाम से दर्ज हिस्सा पैत्रिक कृषि भूमि में अपने 1/3-1/3 हक व हिस्सा की एंव दखल पाने की घोषणा करवाने के कानूनः हकदार है।

यह कि अप्रार्थी नं० 1 जो की नशे की प्रवृति का व्यक्ति है। वह बिना किसी घरेलु आवश्यकता के दोनों चकों में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी नं० 1 के नाम से जो भूमि दर्ज है केवल मात्र अपने नशे की पूर्ति हेतु समस्त पैत्रिक कृषि भूमि को बेचान करने की धमकी दे रहा है। केवल मात्र यही कृषि भूमि प्रार्थीगण के परिवार के गुजर-बसर का एक मात्र साधन है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जावे कि जब तक श्रीमान न्यायालय के समक्ष वादाधीन पैत्रिक कृषि भूमि की बाबत जेरकार उक्त अनवान के वाद-पत्र का अंतिम निस्तारण नहीं हो जाता तब तक अप्रार्थी नं० 1 सोहनलाल पुत्र श्री बीरबलराम जाति बावरी के नाम से चक 13 एम.ओ. डी. ए में संयुक्त खाता संख्या- 22/16 में दर्ज समस्त कृषि भूमि में 544/19987 हिस्सा भूमि, चक जे. आर. के. के संयुक्त खाता संख्या - 74/55 में दर्ज समस्त कृषि भूमि मे 1/8 हिस्सा व चक 17 जे. आर. के. में ही एक अन्य संयुक्त खाता संख्या 103/26 में दर्ज समस्त कृषि भूमि में 295/7084 हिस्सा भूमि को अप्रार्थी नं० 1 अन्यत्र किसी भी प्रकार से रहन, बैय एंव हस्तान्तरण नहीं करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक पक्षिय बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र में दिनांक 09.10.23 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। नोटिस जारी कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध नोटिस तामिल होने पर हाजिर नहीं होने पर दिनांक 11.09.24 को एक पक्षिय कार्यवाही जारी शुदा है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

स्टेट जवाब प्राप्त हो चुका है जिसमें रास्ता खाला की सुविधा पैतृक भूमि के अलावा अन्य भूमि हो तो नियमानुसार राज्य हित को ध्यान में रखते हुए वाद पत्र का निस्तारण किया जाता है तो स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। बहस में अधिवकता प्रार्थीगण द्वाराप्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए स्थगनादेश ता दावा फैसला करने हेतु निवेदन किया गया।

—::आदेश::—

वहस अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष सुनी गई। वहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण इस लिए स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थीगण नावालिग है जिनके हितों की रक्षा न्यायालय का दायित्व है यदि प्रश्नगत रकवा में वाद पत्र में हक्क व हिस्सा निहित है एवं हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है और हकों के संवंध में वाद पत्र जैरकार है जिसमें गणोवगुण के आधार पर निर्णय किया जाना है इस लिए प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में सावित होने पर प्रार्थना पत्र 212 आरटीए स्वीकार कर स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। अपितु उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्थगन आदेश दिनांक 09.10.2023 ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 23/03/26 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी बीगोंद